निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
490/2023	25.03.2023	11/12/25

1. इस्लाम खान पुत्र रजाक खान, गद्दी नि. महानंदपुर ड्यौडा तह0वजीरपुर
2. उस्मान खान पुत्र रजाक खान, गद्दी नि. महानंदपुर ड्यौडा तह0वजीरपुर

——वादीगण

बनाम

1. नियामत पुत्र मोहम्मद, गद्दी नि. महानंदपुर ड्यौडा तह0 वजीरपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री हसीब खान, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि उनकी सहखातेदारी की भूमि ख0न0 253 रकबा 1.68 है0, ख0न0 254 रकबा 0.93 है0 ग्राम महानंदपुर ड्यौडा मे स्थित है। जिसमे वादीगण 1/2–1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 802/253 रकबा 1.67 है0, ख0न0 803/254 रकबा 0.93 है0 ग्राम महानंदपुर ड्यौडा मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बिलकुल बगल मे स्थित है। वादीगण को अपने हिस्से की भूमि के काश्त हेतु प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि मे होकर आना जाना पडता है। जिससे कई बार फसल नष्ट हो जाती है परन्तु प्रतिवादी इस बात के लिए वादीगण को कोई परेशानी व मजाहमत पैदा नही करता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 1.7.2023 को आपस मे बातचीत की कि हम एक दूसरे की खातेदारी बदलवा लेते है जिससे दोनों के हिस्से की भूमि एक एक तरफ हो जावेगी। इस पर तहसीलदार जी ने श्रीमानजी के यहॉ दावा प्रस्तुत कर आदेश लाने की बात कही। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी की भूमि ख0न0 253 रकबा 1.68 है0 मे वादीगण के नाम को हटा कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि ख0न0 802/253 रकबा 1.67 है0 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हटाकर वादीगण के नाम दर्ज की जावें एवं प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे कि वह इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:28:48 IST
Reason: Self Attested

राजस्व रिकॉर्ड मे व नक्शा ट्रेस मे अंकन कायम करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावे मे वादीगण के दावे को स्वीकार करते हुए दावे मे चाहे गये अनुसार खातेदारी दर्ज करने मे कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने इस सम्बन्ध मे अपने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावे के अनुसार भूमि एक दूसरे के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 39, नकल जमाबंदी संवत 2060–63 खाता संख्या 46 ग्राम महानंदपुर डयौडा प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2076–79 खाता संख्या 39 ग्राम महानंदपुर डयौडा के अनुसार भूमि ख0न0 253 रकबा 1.68 है0 किस्म बारानी ए, वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। प्रत्येक वादी का 1/2 –1/2 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2060–63 खाता संख्या 46 के अनुसार भूमि ख0न0 802/253 रकबा 1.67 है0 किस्म बारानी ए, प्रतिवादी नियामत पुत्र मोहम्मद की खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादी के नाम दर्ज भूमि की जमाबंदी संवत 2060–63 की होने के कारण हमारे द्वारा वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–79 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार भूमि ख0न0 802/253 रकबा 1.67 है0 किस्म बारानी ए प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी मे तो दर्ज है एवं यह भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी के यहॉ रहन है। प्रस्तुत मामले मे वादीगण एवं प्रतिवादी आपस मे भूमि एक दूसरे के नाम लगाने की मांग को लेकर वाद लेकर आये है। इस वाद को डिक्री किये जाने मे कोई कानूनी अडचन नही है परन्तु दोनो की भूमि मे एक एयर का अंतर होने के कारण इस एक एयर भूमि इस [illegible] भूमि की डीएलसी दर से बनने वाली स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भुगतान की जावेगी क्योकि प्रतिवादी के नाम एक एयर भूमि अधिक आ रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की भूमि ख0न0 802/253 पंजाब नेशनल बैंक मे रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आने वाली भूमि ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:28:48 IST
Reason: SelfAttested

253 रकबा 1.68 है0 ग्राम महानंदपुर ड्योढा पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी के नाम रहन दर्ज रहेगी। इसी अनुसार यह वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान की आपसी सहमति के अनुसार भूमि ख0नं0 802/253 रकबा 1.67 है0 ग्राम महानन्दपुर ड्योढा का वादीगण इस्लाम खान व उस्मान खान को प्रत्येक को 1/2– 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। साथ ही भूमि ख0नं0 253 रकबा 1.68 है0 ग्राम महानन्दपुर ड्योढा का प्रतिवादी संख्या 1 नियामत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि वादीगण की खातेदारी से कम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी में दर्ज की जावे। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात् पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी के नाम रहन दर्ज रहेगी। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी में 0.01 है0 भूमि अधिक आ रही है इसलिए इस 0.01 है0 भूमि पर डी0एल0सी0 दर के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क प्रतिवादी संख्या 1 नियामत से राजकोष में जमा करवाया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधा रानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:28:48 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV**-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर

इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. इस्लाम खान पुत्र रजाक खान, गद्दी नि. महानंदपुर ड्यौडा तह0वजीरपुर
2. उस्मान खान पुत्र रजाक खान, गद्दी नि. महानंदपुर ड्यौडा तह0वजीरपुर

––वादीगण

बनाम

1. नियामत पुत्र मोहम्मद, गद्दी नि. महानंदपुर ड्यौडा तह0 वजीरपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर ––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 490 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संजय शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री हसीब खान, एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान की आपसी सहमति के अनुसार भूमि ख0नं0 802 / 253 रकबा 1.67 है0 ग्राम महानन्दपुर ड्योढा का वादीगण इस्लाम खान व उस्मान खान को प्रत्येक को 1 / 2– 1 / 2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। साथ ही भूमि ख0नं0 253 रकबा 1.68 है0 ग्राम महानिन्दपुर ड्योढा का प्रतिवादी संख्या 1 नियामत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि वादीगण की खातेदारी से कम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी में दर्ज की जावे। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नियामत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:28:48 IST
Reason: SelfAttested

इस्लाम खान वगैरा बनाम नियामत वगैरा, दावा

की खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात् पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी के नाम रहन दर्ज रहेगी। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 नियामत की खातेदारी में 0.01 है0 भूमि अधिक आ रही है इसलिए इस 0.01 है0 भूमि पर डी0एल0सी0 दर के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क प्रतिवादी संख्या 1 नियामत से राजकोष में जमा करवाया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/25 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:28:48 IST
Reason: SelfAttested